(ड) "सेवा" का तात्पर्य अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक(राजस्व निरीक्षक) सेवा से है ;

(ढ)"उप जिला अधिकारी" का तात्पर्य उप जिला (परगना) के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है ;

(ण)"मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(त) "वर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:–

पद का नाम		पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
राजस्व निरीक्षक				
	क्षेत्र कार्य / लेखपालों पर नियंत्रण हेतु	1326	—	1326
	कार्यालय कार्य हेतु	1082	—	1082
	जनपद स्तरीय भूलेख कार्यालय हेतु	65	—	65
कुलयोग		2473	—	2473

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

(3) इस नियम (2) में यथा परिभाषित राजस्व निरीक्षक के कार्य और कर्तव्य वही होंगे जो उत्तर प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली में परिकल्पित हैं।

(4) कलेक्टर किसी कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक की तैनाती कर सकता है।

(5) राजस्व परिषद, राजस्व निरीक्षक के संवर्ग हेतु विभागाध्यक्ष होंगे।